निग०-03082/2018/उमरिया/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल महोदय ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

प्रेम सिंह गोंड़ उम्र 49 वर्ष तनय रणमत सिंह गोंड़ निवासी ग्राम झांपी, पोस्ट भोड़सा, जिला कटनी म0प्र0

--निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

द्रोपदी साहू उम्र 55 वर्ष पत्नी श्री आनंदलाल साहू, निवासी वार्ड नं-4 बिंझला टोला बिरसिंहपुर पाली थाना एवं तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0

-----प्रत्यर्थी/अनावेदक

अधि० श्री विपुलशील मिश्रा द्वारा पेश। 18.5.18

न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 05/अपील/2015-16 प्रेम सिंह गोंड़ बनाम द्रोपदी साहू मे पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के बिरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः-

निगरानीकर्ता/आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय उमरिया के समक्ष इस आशंय का आवेदन पत्र दिया था कि आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 1133/1 रकवा 1.466हे0 यानी 3.62ए0 स्थित ग्राम पाली को प्रत्यर्थी/अनावेदक के भूमिस्वामित्व के भूमि खसरा कमांक 6/1, 34, 264 एवं 261 कुल 4 किता कुल क्षेत्रफल 1.609हे0 स्थित ग्राम जमुहाई तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0 को स्वंय की सुविधा के लिए विनिमय किए जाने की अनुमति प्रदान किया जाय जिस पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा विधिवत नगर पंचायत पाली, ग्राम पंचायत बेली नगर पालिका परिषद पाली एवं तहसीलदार पाली से विधिवत जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन मे सभी जांच संस्थाओं द्वारा विनिमय किए जाने हेतु अनुसंशा किए जाने के बावजूद कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदक के विनियम किए जाने के आवेदन पत्र को अपने आदेश दिनांक 04.02.14 से निरस्त कर दिया गया था जिसके बिरुद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 के समक्ष अपील प्रस्तुत किया था जिस अपील को भी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3082/2018/उमरिया/भू.रा. प्रेमसिंह गौड़ विरूद्ध द्रौपदी साहू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 07-09-2018 को आवेदक प्रेमसिंह के अभिभाषक श्री बृजराज सिंह को ग्राहयता पर सुना गया । आवेदक के द्वारा यह निगरानी भू. रा. संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । उक्त अपील आदेश अंतर्गत कमिश्नर शहडोल ने कलेक्टर उमरिया के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 318/अ-74/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04-02-2014 को यथावत (Maintain) रखा है । 2. अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय में निगरानीकर्ता प्रेमसिंह गौड़ (अनुसूचित जनजाति) के द्वारा अपने स्वत्व की भूमि का विनिमय गैर आदिवासी की भूमि से अंतर की राशि लेकर करने का अनुरोध किया था । आवेदक एवं अनावेदक की भूमियां दो भिन्न ग्रामों में स्थित है । आवेदक की भूमि अनुसूचित क्षेत्र (Notified Area) में स्थित है । कलेक्टर उमरिया के द्वारा उक्त विनिमय आवेदन को संहिता की धारा 165(6)(1) एवं 167 के अन्तर्गत उचित नहीं पाने के कारण भूमि विनिमय आवेदन निरस्त किया गया है । 3. मेरे द्वारा ग्राहयता पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये, एवं निगरानी मेमों एवं संलग्न प्रमाणित प्रतियों का अध्ययन किया गया । 4. कमिश्नर शहडोल व कलेक्टर उमरिया के आदेश से सहमत होते हुये उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से निगरानी अग्राहय की जाती है । पक्षकारों के अभिभाषकों को नोट कराया जाये । (हस्ताक्षर) सदस्य 17.9.18	